

સંઘ પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલી અને દમણ અને દીવ,
સહાયક મત્સ્યોદ્યોગ અધીક્ષક કાર્યાલય,
દીવ


સં. એએસએફડી/24-MFV/2022-23/૨૩૬

તારીખ 01/08/2022

સાર્વજનિક સૂચના

આ કચેરી દ્વારા તારીખ 21/04/2022 ના સાર્વજનિક સૂચના સં. એએસએફડી/24/એમએફવી/2022-23/34 ના સંદર્ભ માં પુનઃ દીવ જીલ્લા ના દરેક બોટ માલિકોને તેમજ માછીમાર એસોશિયેશન ને જણાવવામાં આવે છે કે આ કચેરી દ્વારા તારીખ 16/08/2022 થી ફિશિંગ લાયસેન્સ પ્રાપ્ત કર્યાબાદ મોબાઇલ એપ્લિકેશન "દીવ સાગર (DIU SAGAR)" દ્વારા ફિશિંગ જવા માટે ના ટોકન ની મંજૂરી લઈ ને ફિશિંગ જવાનું રહેશે તેની દરેક બોટ માલિકોને જાણ કરવામાં આવે છે.

જે બોટ માલિક ઉપરોક્ત સૂચનાનું ઉલ્લંઘન કરશે તેના પર યોગ્ય કાર્યવહી કરવામાં આવશે તેની દરેક બોટ માલિકોએ નોંધ લેવી.


સહાયક મત્સ્યોદ્યોગ અધીક્ષક, દીવ
ઈમેલ- fish-diu-dd@nic.in
Tel No. 02875-252859

સેવામાં,

1. પ્રમુખશ્રી, દીવ જીલ્લા મત્સ્ય કો.ઓ.સોસાયટીઓ } જાણકારી તથા વધુમાં વધુ
2. પ્રમુખશ્રી, માછીમાર એસોશિયેશન, વણાકબારા, સાઉદવાડી, બુચરવાડા, ઘોઘવા, દીવ } પ્રચાર- પ્રસાર માટે
3. "દીવસાગર" મોબાઇલ એપ દ્વારા દરેક બોટ માલિકોને જાણકારી

પ્રતિવિધિ પ્રેષિત:-

1. માનનીય કલેક્ટર, કલેક્ટર કચેરી, દીવ } જાણકારી માટે
2. નિદેશક અને ઉપ સચિવ (મત્સ્યોદ્યોગ), દમણ }

सं० एसएफडी / 24/MFV/2022-23/ 34
संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन,
सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक कार्यालय,
मत्स्योद्योग विभाग, दीव
दिनांक - 21/04/2022

सार्वजनिक सूचना

आप सभी सक्रिय मछुआरों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के मत्स्योद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली से दिनांक 07/04/2022 के आदेश सं०30035/15/97-FY(T-1)/Ind Vol. VI के तहत वेस्ट कोस्ट के तटीय विस्तार में दिनांक 01/06/2022 से 31/07/2022 अवधि तक समुद्र में फिशिंग करने पर प्रतिबंध (FISHING BAN) लगाया गया है, जिससे की मात्स्यिकी (Fishery) संपत्ति का संरक्षण एवं प्रभावकारी प्रबंध किया जाए और मछुआरों की सलामति ही मक । यह समय के दौरान मछली की उत्पत्ति बढ़ती है और मछली का विकास होने का अवसर प्राप्त होता है । इसलिए यह प्रतिबंध आवश्यक है जो अनन्य आर्थिक जोन (Exclusive Economic Zone) और प्रादेशिक/क्षेत्रीय जल सीमा (Territorial Waters) में भी लागू होता है । इसलिए इस अवधि तक समुद्र में फिशिंग करने की सख्त मनाई की जाती है ।

उपरोक्त आदेश को ध्यान में रखते हुए यह भी बताया जाता है कि वर्षाऋतु के समय दमण-दीव और गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में समुद्र की तूफानी लहरें एवं हवा तेज चलती है जिसके कारण मछुआरों की नाव, जाल वगैरे का भारी नुकसान देखा जाता है, इसलिए दीव जिले के मछुआरों एवं फिशिंग नावों की सलामति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिनांक 01/06/2022 से 15/08/2022 तक खराब समुद्री हवामान के कारण माछीमारी के लिए प्रतिकूल मौसम (Fishing Off-Season) बताया जाता है ताकि मछुआरों की जान-माल का नुकसान से बचा जा सके । इसलिए आप सभी मछुआरों को सूचित किया जाता है इस अवधि में कोई भी मछुआरें समुद्र में फिशिंग करने न जाए एवं अपनी नाव को समुद्र में न भेजे ।

उपरोक्त सूचना का आप सख्ती से पालन करें अन्यथा सरकारी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(सुकर आंजनी)

सहायक मत्स्योद्योग अधीक्षक,
दीव.

सेवा में,

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, दीव } }
2. अध्यक्ष, दीव जिल्ला पंचायत, दीव } सूचनार्थ एवं
3. सरपंच, ग्राम पंचायत, वनाकबारा, साउदवाडी, बुचरवाडा, जोलावाडी } }
4. प्रमुखश्री, दीव जिला फिशरमेन एसोशियेशन, वनाकबारा } अधिकतम
5. प्रमुख श्री, दीव जिला की विविध मत्स्य को-ओपरेटिव सोसायटी, } प्रचार-प्रसार हेतु
6. अध्यक्ष, मछुआरा संघ, वनाकबारा, साउदवाडी, बुचरवाडा, धोधला, दीव } प्रेषित है ।
7. 'दीवसागर' मोबाईल ऐप द्वारा सभी बोट मालिक को जानकारी } }

प्रतिलिपि प्रेषित -

1. माननीय समाहर्ता, समाहर्तालय, दीव } जानकारी हेतु ।
2. सब डिविजनल पुलिस अधिकारी, दीव } }
3. संयुक्त सचिव (मत्स्योद्योग), दमण } }
4. बंदरगाह अधिकारी, दीव } जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. कोस्टल पुलिस, दीव } }